

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH JABALPUR**

Endt.No.....B/4136...../ Jabalpur, dated .....07../08/2018  
III-6-4/03 Pt.-VI

The copy of Notification no. 17(E)83/03/21-B(1)/3448/2018 dated 03-08-2018 issued u/s 153(1) & 153(2) of Electricity Act 2003 received from Department of Law & Legislative Affairs, Bhopal, is forwarded to:-

01. The Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Bhopal for information
02. Deputy Controller, Government Central Press Arera Hills Bhopal-6 for Publication in the next issue of Madhya Pradesh Rajpatra.
03. The District and Sessions Judge, .....
04. District Judge, (Inspection & Vigilance), Jabalpur, Indore, Gwalior.
05. The Special Court Notified under Section 153(1) & (2) of Electricity Act 2003.....
06. The Principal Registrar, Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur.
07. Registrar (J-1)/(J-II)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(I & V)/ (A.W.) / (Examination and Labour Judiciary)/(I & V)/ IT/ Registrar & Secretary, M.P. Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
08. P.S. to Hon'ble the Chief Justice ,High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordship,
09. P.S. to Registrar General/ Principal Registrar(Judl)/ Principal Registrar (Inspection & Vigilance),/ Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
10. P.A. to Director/Additional Director MP State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
11. Section Officer,Checker/Confidential/Work Section/Budget, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
12. Computer Operator, Confidential Section , High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
13. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

*Varun Punase*  
07/08/18  
(VARUN PUNASE)  
OSD(DE)



शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/3448/018, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई)83-2003-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्य प्रदेश राजपत्र, भाग-1 में, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 93 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्:-

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
93.	शाजापुर	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर	सिविल जिला शाजापुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 94, 95 एवं 96 में दिए गए विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर)।

#### NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(1)/3448/18, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this department's Notification F.No. 17(E)83-03-XXI-B(1) dated 16<sup>th</sup> September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24<sup>th</sup> September, 2010, namely :-

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 93 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

03 AUG 2018

REGISTRAR GENERAL  
HIGH COURT OF M.P.  
JABALPUR

0.5.D (12E)

Sanjivani  
4-8-18  
SO (Checker)

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
93.	Shajapur	IV <sup>th</sup> Additional Sessions Judge, Shajapur	All Electricity area of Civil District Shajapur (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 94, 95 and 96)."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 17(ई)83 / 03 / 21 -ब(एक) / 3448 / 2018,  
प्रतिलिपि: -

भोपाल, दिनांक 03 / 08 / 2018

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. B/3333/III-6-4/03, दिनांक 18.07.2018 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उप नियंत्रक, शासन कन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र भाग एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

32-85



मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/3448/018,, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई) 83/03/इक्कीस- ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्य प्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 93 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों स्थापित की जाएं अर्थात्:-

सारणी

स.क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
93.	शाजापुर	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर	श्री एस. एस. गुर्जर, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर."

NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(one)/3448/2018, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No.36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification F.No.17(E) 83/03/21-B (1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September, 2010, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 93 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

03 AUG 2018  
REGISTRAR GENERAL  
HIGH COURT OF M.P.  
JABALPUR  
O.S.D (DE)  
Sd/-  
04/08/18  
SO (Chester)

**TABLE**

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
93.	Shajapur	IV <sup>th</sup> Additional Sessions Judge, Shajapur	Shri S. S. Gurjar, IV <sup>th</sup> Additional Sessions Judge, Shajapur.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 17(ई)83/03/21-व(एक)/3448/2018,

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. B/3333/III-6-4/03, दिनांक 18.07.2018 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय गुद्रणालय, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग